

समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन (दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग)

(7) सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1, (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद), भारतीय नौसेना

(8) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद),

(9) भारतीय दूरसंचार सेवा, ग्रुप 'क'

(10) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी ग्रुप 'ख',

टिप्पणी : ऊपर दर्शाए गए पदों/सेवाओं पर भर्ती नोटिस के परिशिष्ट-1 में निर्धारित परीक्षा की योजना(ओं) के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उचित समय पर सेवाओं/पदों के लिए अपनी वरीयता देनी होगी।

विशेष ध्यान : 1 : विभागिय उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जिन्हें पैरा 3 (II) (ख) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवार अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं।

विशेष ध्यान : 2 : पैरा 3 (III) के उपबंध के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबंध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : 3 : उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आवेदन योग्यता-क्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई वरीयता तथा पदों की संख्या के आधार पर ही किया जायेगा जो उम्मीदवारों के चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्याधीन हैं।

2(ख) : उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 (क) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग के लिए जैसे कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरी, परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है।

3. पात्रता की शर्तें :

(1) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों क्रीन्या, जर्मांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिखाने पर ही दिया जाएगा।

(II) आयु-सीमाएं :

(क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु **पहली अगस्त 2011** को पूरे 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म **2 अगस्त, 1981** से पहले और **पहली अगस्त, 1990** के बाद न हुआ हो।

(ख) निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि वे नीचे दिए गए कालम-1 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं और कालम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं)/पद (पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु जिसके लिए वे अन्याय पात्र हैं, आवेदन करते हैं, उपरी आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

(1) वह उम्मीदवार जो संवद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप से स्थायी पद पर है, उक्त विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्त परीक्षाधीन अधिकारी को उनकी परीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में **1 अगस्त 2011** को कम से कम 3 वर्ष लगातार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कालम-1	कालम 2
रेल विभाग	आई.आर.एस.ई आई.आर.एस.एस.ई, आई.आर.एस.ई.ई., आई.आर.एस.एस.ई.आई.आर.एस.एस.
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सी.ई.एस., ग्रुप 'क'

सैनिक इंजीनियर सेवाएं
'क' भारतीय इंजीनियर्स रक्षा सेवा (आईडीएसई) रक्षा मंत्रालय

आई.ई. ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार) इंजीनियरी पद, ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, आई.ओ.एफ.एस. ग्रुप 'क'

आई.ई. ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार) इंजीनियरी पद, ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, आई.ओ.एफ.एस. ग्रुप 'क'

आई.ई. ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद), ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, ए.ई.ई., ग्रुप 'क' (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार) इंजीनियरी पद, ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय, आई.ओ.एफ.एस. ग्रुप 'क'

आई.ओ.एफ.एस. ग्रुप 'क' सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

सहायक नौसेना आयुध सेवा, सहायक नौसेना भंडार अधिकारी ग्रेड-1

अधिक पांच वर्ष तक।

(6) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने **1 अगस्त 2011** को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष।

(7) नेवहीन, भूक-बंधित तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष।

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 3 (II) (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जन्म तथा कश्मीर राज्य में नियुक्त करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के कालम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बतानी चाहिए, यदि बाद में किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास :

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्णमित किसी विश्वविद्यालय की या उसमें बाद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए अथवा

(ख) इंजीनियरी की संस्था (भारत) की परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हों, अथवा

(ग) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालिज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; अथवा

(घ) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एंसायिटेड मेम्बरशिप परीक्षा (भाग-2 और 3/खण्ड क और ख) उत्तीर्ण हो; या

(च) नवंबर, 1959 के बाद ली गई इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो संचार इंजीनियरी की संस्था (लन्दन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हों।

किंतु भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी) तथा वायुसेना आयुध सेवा समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन में इंजीनियर ग्रुप 'क' के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे वायुसेना संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम.एस.सी डिग्री या समकक्ष।

टिप्पणी-1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को जो यदि अन्याय पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तम माननी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी-2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्त कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा

प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें किसी भी कारण से परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जायेगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के कालम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बतानी चाहिए, यदि बाद में किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास :

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्णमित किसी विश्वविद्यालय की या उसमें बाद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए अथवा

(ख) इंजीनियरी की संस्था (भारत) की परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हों, अथवा

(ग) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालिज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; अथवा

(घ) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एंसायिटेड मेम्बरशिप परीक्षा (भाग-2 और 3/खण्ड क और ख) उत्तीर्ण हो; या

(च) नवंबर, 1959 के बाद ली गई इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो संचार इंजीनियरी की संस्था (लन्दन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हों।

किंतु भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी) तथा वायुसेना आयुध सेवा समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन में इंजीनियर ग्रुप 'क' के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे वायुसेना संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम.एस.सी डिग्री या समकक्ष।

टिप्पणी-1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को जो यदि अन्याय पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तम माननी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी-2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्त कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा

प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें किसी भी कारण से परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जायेगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के कालम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बतानी चाहिए, यदि बाद में किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास :

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्णमित किसी विश्वविद्यालय की या उसमें बाद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए अथवा

में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी-3 : जिस उम्मीदवार ने अन्याय अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की एसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विविधा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(vi) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2011 के लिए भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 8 जनवरी 2011 में यथा प्रकाशित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011 की नियमावली के परिशिष्ट-II में दिये गये शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों (अजा/अजजा/महिला/शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है) को कम किया गया शुल्क **50/- रु. (पचास रुपये मात्र)** अदा करना होगा जो वे भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा कराके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अथवा बीजा/मास्टर क्रेडिट डेबिट कार्ड के प्रयोग से कर सकते हैं।

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करके (सरल आवेदन-प्रपत्र के माध्यम से) उन्हें **100 रु. (केवल एक सौ रुपये)** के अपेक्षित मूल्यवर्ग की एक **केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट** के द्वारा शुल्क का भुगतान करना होगा। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट **(डाक टिकट नहीं)** डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें, जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर किन्तु दिये गये स्थान के अंदर अपने आप आ जाए। रद्द किए गए टिकट की छाप स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है यद्यत् कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा आरोप्यता (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्याय रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रामाणिक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपयुक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

“केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट” के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मनीऑर्डर, रेखांकित चेक, चलभुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें

एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-1 : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-2 : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

टिप्पणी-3 : यदि कोई उम्मीदवार 2010 में ली गयी इंजीनियरी सेवा परीक्षा में बैठे हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसे परीक्षाफल या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतिकापि विना ही अपना आवेदन पत्र भेज देना चाहिए ताकि वह निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंचे जाए।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को <http://www.upsconline.nic.in> लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के पास आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सरल आवेदन-प्रपत्र के माध्यम द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर के **निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं।** प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। **यह प्रपत्र केवल एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है।** ऐसे उम्मीदवार, जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा वारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, **कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें।** उम्मीदवार को पावती कार्ड के संलग्न स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छ: रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए।** लिफाफा **‘परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069’** को भेजने से पहले उम्मीदवार को उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011 भी लिखना चाहिए।** उम्मीदवार नोट करें कि केवल दूर-दराज के क्षेत्रों से सभी ऑफलाइन आवेदन केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और दस्ती रूप से अथवा कूरियर द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र नहीं स्वीकार किया जाएगा।

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें

आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको या तो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र तथा/अथवा इंजीनियरी विषय भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग केन्द्र तथा/अथवा इंजीनियरी विषय देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र, किसी भी स्थिति में, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पुरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट केन्द्र/इंजीनियरिंग विषय को छोड़कर किसी अन्य केन्द्र पर इंजीनियरिंग विषय में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : चूंकि इन आवेदन प्रपत्रों की जांच संगणक पद्धति द्वारा की जाएगी, उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र को सावधानीपूर्वक ठीक से भरना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भरने के लिए परिशिष्ट-II में दिये गये आवश्यक अनुदेश देखें। कोई भी कोलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अशुद्ध या गलत भरे हुए आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृतिक संबंध में अन्वेषण या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणी/शारीरिक विकलांगता आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किसी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम, जिसके दिसंबर 2011 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्राणित प्रतियां तैयार रखें :

1. आयु का प्रमाण-पत्र.
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र.
3. जहाँ लागू हो, वहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
4. जहाँ लागू हो, वहाँ आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.

लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र भेजेगा। उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की अनुप्राणित प्रतियां इस प्रपत्र के साथ आयोग को भेजनी होंगी। नूतन प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

यदि उनके द्वारा किये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक **8 जनवरी, 2011** में अधिसूचित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011 की नियमावली के नियम 11 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है के अनुसार

अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। आयोग ने जिस उम्मीदवार को दोषी पाया या घोषित किया हो :

- (1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, या
- (2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, या
- (3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, या
- (4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, या
- (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, या
- (6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, या
- (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
- (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखीं हों और अश्लील भाषा में या अप्रदर आशय की हों, या
- (9) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या
- (10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक शक्ति पहुंचाई हो, या
- (11) परीक्षा के दौरान कोई सैल्यूटर/मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (12) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो; या
- (13) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवगति करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अन्याय ठहराया जा सकता है तथा/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए
- (2) केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :
- (1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **7 फरवरी, 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक** भर जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

(ख) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, विपुवा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्पा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में रह रहे उम्मीदवारों के लिये ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प भी है। यदि ऐसे उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनसे केवल डाक द्वारा (डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा) प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों को कि उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों से पोस्ट किये गये हों, के मामले में अंतिम तारीख **14 फरवरी, 2011 है।**

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उनका आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं.

7. आवेदनों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किए गए पावती कार्ड को उनके आवेदन की प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप आयोग कार्यालय द्वारा विधिवत मुहर लगाकर पावती कार्ड उम्मीदवार को भेज दिए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार **30 दिनों के अंदर** पावती प्रमाण पत्र नहीं पाता है, तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) एवं परीक्षा का नाम और वर्ष दर्शाते हुए आयोग से अविलंब संपर्क करना चाहिए. केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है. उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने के बारे में शीघ्रतः शीघ्र सूचित कर दिया जायेगा.

8. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

- इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी. उम्मीदवारों को अनुक्रमांक दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा. प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा. यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से **एक माह पूर्व** प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए. ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये यह स्वयं ही जिम्मेदार होना.** यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते को फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे. अतः उम्मीदवार वे सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सही पूर्ण है. सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पावती की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा.

- केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक

मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पावती की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है. आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अंतिम रहेगी. उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता के बारे में तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम त्रुटि की कारणों से संश्लिष्ट रूप में लिखे जा सकते हैं.

- उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य आयोग के कार्यालय को लौटा दिए जाने चाहिए.

- उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

- यदि उम्मीदवार को निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के निवेदन के साथ लौटा दिया जाना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

- परीक्षा का नाम और वर्ष.
- आवेदन प्रपत्र संख्या (8 अंकीय).
- अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो).
- उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में).
- आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.

विशेष ध्यान दें : 1. जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संपर्क है कि उन पर ध्यान न दिया जाए.

विशेष ध्यान दें : 2. यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

9. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए. तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी.

कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
एफ (F)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य.
पीपी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य.
एल (L)	3. उठकर किए जाने वाले कार्य.
केसी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य.
बी (B)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य.
एस (S)	6. बैठकर (बैच या कुर्सी पर) किए

जाने वाले कार्य.

- एसटी (ST) 7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य.
- डब्ल्यू (W) 8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य.
- एसई (SE) 9. देखकर किए जाने वाले कार्य.
- एच (H) 10. सुनकर या बोलकर किए जाने वाले कार्य.

- आरडब्ल्यू (RW) 11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य.

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड कार्य
बीएल (BL) 1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं.

बीए (BA) 2. दोनों भुजाएं खराब क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता

बीएलए (BLA) 3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब

ओएल (OL) 4. एक पैर खराब (दायां या बायां) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेंसिस्तक

ओए (OA) 5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेंसिस्तक

बीएच (BH) 6. सख्त पीठ तथा कूले (बैठ या झुक नहीं सकते)

एमडब्ल्यू (MW) 7. मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति.

बी (B) 8. नेत्रहीन.

पीबी (PB) 9. आंशिक नेत्रहीन.

डी (D) 10. बधिर.

पीडी (PD) 11. आंशिक बधिर.

10. आवेदन प्रपत्र की वापसी :

उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उनके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वि.प्र. सिंह
संयुक्त सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-1

परीक्षा की योजना

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :

भाग-1: लिखित परीक्षा दो भाग में होगी. भाग 1 में केवल वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे और भाग 2 में परंपरागत प्रश्नपत्र होंगे. दोनों भागों में संगत इंजीनियरी शिक्षा शाखाओं जैसे सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वैद्युत इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी की पूरी पाठ्यचर्या होगी. इन प्रश्नपत्रों के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्या परिशिष्ट की अनुसूची में दिए गए हैं. लिखित परीक्षा का विवरण जैसे विषय प्रत्येक विषयों के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक नीचे पैरा 2 में दिए गए हैं.

भाग-2 : लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का व्यक्तिगत परीक्षा जो अधिकतम 200 अंकों का है.

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी:

विषय	अवधि	पूर्णांक
खंड-1 वस्तुपरक प्रश्न पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी)	2 घंटे	200
(भाग ख : सामान्य अध्ययन)		
सिविल इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	2 घंटे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	2 घंटे	200
खंड-2 परंपरागत प्रश्न पत्र		
सिविल इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	3 घंटे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	3 घंटे	200
योग		1000

वर्ग-2 यांत्रिक इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
खंड-1 वस्तुपरक प्रश्न पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी)	2 घंटे	200
(भाग ख : सामान्य अध्ययन)		
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	2 घंटे	200
खंड-2 परंपरागत प्रश्न पत्र		
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	3 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	3 घंटे	200
योग		1000

वर्ग-3 वैद्युत इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
खंड-1 वस्तुपरक प्रश्न पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी)	2 घंटे	200
(भाग ख : सामान्य अध्ययन)		
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	2 घंटे	200
खंड-2 परंपरागत प्रश्न पत्र		
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	3 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	3 घंटे	200
योग		1000

वर्ग-4 इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
खंड-1 वस्तुपरक प्रश्न पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी)	2 घंटे	200
(भाग ख : सामान्य अध्ययन)		
इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	2 घंटे	200
इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	2 घंटे	200
खंड-2 परंपरागत प्रश्न पत्र		
इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी प्रश्न पत्र-I	3 घंटे	200
इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी प्रश्न पत्र-II	3 घंटे	200
योग		1000

टिप्पणी : उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे परम्परागत प्रश्न पत्रों और वस्तुपरक परीक्षण एवं परीक्षा भवन में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्नपत्र के उत्तर पत्रकों को भरने हेतु संबंधित जानकारी के लिए इस नोटिस के परिशिष्ट-IV में दिए गए "उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देशों" का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें. 3. व्यक्तिगत परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक उज्वलता, प्रायोगिक अनु. योग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

4. परम्परागत प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जायें. प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे.

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे. किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति को सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

6. परीक्षा के किसी एक या सभी प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेक आयोग के पास है. परीक्षा की योजना के खंड-I के वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पत्र पहले जंचे जायें तथा परीक्षा की योजना के खंड-II में दिए गए परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्र उन्हें उम्मीदवारों के जंचे जायेंगे जो वस्तुपरक प्रकार के प्रश्नपत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं.

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे.

8. लिखाई खराब होने पर लिखित प्रश्नपत्रों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जायेंगे.

9. परीक्षा के परम्परागत प्रश्नपत्र में इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग की और सही हो.

10. प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक एच.आई. (S.I.) इकाईयों का प्रयोग किया जाएगा.

टिप्पणी : जहां भी जरूरी समझा जाएगा, उम्मीदवारों को परीक्षा भवन, में संदर्भ हेतु मानक एस.आई. (S.I.) इकाइयों की सारणी/चार्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

11. उम्मीदवारों को परंपरागत (निबंध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है, परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लायें।

12. उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

परिशिष्ट-1 की अनुसूची

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्नपत्र का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि इंजीनियरी विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है। अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों का स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

सामान्य योग्यता परीक्षण

भाग (क) सामान्य अंग्रेजी : अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके।

भाग (ख) सामान्य अध्ययन : सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में सामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती हैं तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सके।

सिविल इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न पत्रों के लिए)

प्रश्न पत्र 1

1. भवन निर्माण सामग्री :
इमारती लकड़ी : विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इमारती लकड़ी, सघनता-नमी संबंध, विभिन्न दिशाओं में सामर्थ्य, दोग, अनुमेय प्रतिबल पर दोगों का प्रभाव, परिरक्षण, शुष्क एवं आर्द्र अपक्षय, डिजाइनों के लिए कोडीय प्रावधान, प्लाईवुड।
ईंटें : किस्में, भारतीय मानक वर्गीकरण, अवशोषण, संतुष्टि गुणक, चिनाई की सामर्थ्य, चिनाई सामर्थ्य पर मसाले की सामर्थ्य का प्रभाव।
सीमेंट : विभिन्न प्रकार के मिश्रण, अवस्थापन काल, सामर्थ्य।
सीमेंट मसाला : मसाले के अवयव, अनुपात, जल-मांग, पलस्तर तथा चिनाई का मसाला।
कंक्रीट : जल सीमेंट अनुपात का महत्व, सामर्थ्य, अधिमिश्रण सहित विभिन्न अवयव सुकर्म्यता, सामर्थ्य परीक्षण, प्रत्यास्थता, परीक्षण, मिश्र-अभिकल्पन विधि।
2. जल यांत्रिकी : प्रत्यास्थापना नियतांक, प्रतिबल, द्विविम प्रतिबल, प्रतिबल का मोर वृत्त, विकृति, द्वितीय विकृति, विकृति का मोर वृत्त, संयुक्त प्रतिबल, भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धांत, साधारण बंधन, अपरूपण, तृतीय और आयताकार खंडों की ऐंडन तथा साधारण अवयव।
3. अनिर्धार्य ढांचों का विश्लेषण : ग्राफ़ीय विधियों सहित विभिन्न विधियों। अनिर्धार्य ढांचागत फ्रेमों का विश्लेषण/आधुनिक वितरण, ढाल विश्लेष्य, दुर्न्यस्तता तथा बल विधि, ऊर्जा विधियां, मुद्र-ब्रेसलों सिद्धांत तथा अनुप्रयोग। अनिर्धार्य धरनों (ओम्पा) तथा साधारण फ्रेमों का पराप्रतयास्य विश्लेषण-आकृति गुणक।
4. इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन : कार्यशील प्रतिबल विधि के सिद्धांत, संयोजनों का अभिकल्पन, साधारण अवयव, निर्मित खंड तथा ढांचे, औद्योगिक छतों का अभिकल्पन, चरम भार

अभिकल्पन के सिद्धांत, साधारण अवयवों तथा ढांचों का अभिकल्पन।

5. कंक्रीट तथा चिनाई ढांचों का अभिकल्पन : कंकन, अपरूपण, अक्षीय संपीडन और संयुक्त बल के सीमांत अवस्था अभिकल्पन, स्लेबों, धरनों, दीवारों और नीवों के लिए कोडीय प्रावधान, प्रबलित सीमेंट अवयवों के अभिकल्पन की कार्यशील प्रतिबल विधि, पूर्व प्रतिबलक कंक्रीट अभिकल्पन के सिद्धांत, सामग्री, पूर्व प्रतिबलन विधि, हानियां। साधारण अवयवों और अनिर्धार्य ढांचों का अभिकल्पन, अनिर्धार्य ढांचों के पूर्व प्रतिबलन का परिचय।
आई.एस.कोडों के अनुसार टैंट चिनाई का अभिकल्पन।

6. निर्माण पद्धति, आयोजना एवं प्रबंध कंक्रीट उपस्कर : भार वाले घान मापक, मिक्सर, वाइब्रेट, घान संयंत्र कंक्रीट पम्प, क्रैने, उच्चालक (हायस्ट), उल्थान (लिफ्टिंग) उपस्कर।

भार वाले घान मापक, मिक्सर, वाइब्रेट, घान संयंत्र कंक्रीट पम्प, क्रैने, उच्चालक (हायस्ट), उल्थान (लिफ्टिंग) उपस्कर।

मृदा-कार्य उपस्कर :

विजली से चलाने वाले बेलचे, फावड़े डोजर, डम्पर, ट्रेलर्स तथा ट्रैक्टर, रोलर्स, शीप फुट रोलर्स, पम्प।

निर्माण, आयोजन तथा प्रबंध : बार चार्ट, संयोजित बार चार्ट, कार्यक्रम संरचनाएं, शरारेक क्रियाशीलता, क्रांतिक पथ, प्रायिकता संक्रियता अवधि, घटना-आधारित नेटवर्क, पीईआरटी नेटवर्क, समय-लागत अध्ययन, ध्वंस (क्रैसिंग), संसाधन नियन्त्रण।

प्रश्न पत्र 2

1. (क) तरल यांत्रिकी, मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह, नलिका प्रवाह :

तरल की विशेषताएं, दाब, प्रणोद, उत्प्लावकता : तरल गतिकी : प्रवाह समीकरणों का समाकलन : प्रवाह मापन : सापेक्ष गति : संवेग का आधुनिक, विकासिता; सीमांत परत तथा निर्यंत्रक, विकर्ष, उल्पाक, त्रिविम विश्लेषण, निदर्शन, कोटरन, प्रवाह दोलन; मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह में संवेग तथा ऊर्जा सिद्धांत, प्रवाह नियंत्रण, जलोच्छाल, प्रवाह परिच्छेद और विशेषताएं; सामान्य प्रवाह, क्रमशः परिवर्ती प्रवाह, प्रोत्कर्ष, नलिका प्रवाह में प्रवाह विकास तथा हानियां मापन; साइफन प्रोत्कर्ष तथा जलाघात, शक्तिप्रदाय, नलिका नेटवर्क।

(ख) द्रवचलित मशीनों और जलशक्ति :

अपकेंद्री पंप, किस्में, निष्पादन प्रचलः अनुमापन, समान्तर पंप, प्रत्यागामी पंप, वायु बाइ, निष्पादन प्रचालन; द्रवचलित रैम; द्रवचलित टर्बाइन, किस्में, निष्पादन प्रचल, नियंत्रण वयन विद्युत् मुद्र, वर्गीकरण और अभिन्यास मण्डरण, जलसंयंत्रन, आयूर्तित नियंत्रण।

2. (क) जल-विज्ञान :

जल विज्ञानी चक्र अवक्षेप तथा संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण, पीएमपी, एक्क तथा संश्लिष्ट जलाशय; वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, वाइ एवं उष्मा प्रबंध, पीएमएफ धाराएं एवं उनका प्रमाणन; नदी आकारिकीय; बाइ का मार्गाभिगमन; जलाशयों की क्षमता।

(ख) जलसंसाधन इंजीनियरी :

सार्वत्रिक जल संसाधना, जल के बहुउद्देशीय उपयोग; मुदा संयंत्र-जल संबंध, सिंचाई प्रणालियां, जल मांग मूल्यांकन; भंडारण और उसके लाभ, भोमजल लाभ और कूप जल इंजीनियरी, जल प्रसन, जल निकास अभिकल्पन, सिंचाई राजस्व; दृढ़ किनारों वाली नहरों का अभिकल्पन, नहर अभिकल्पन के बारे में लेसी तथा कर्षण बल की अवधारणाएं, नहरों की लाइनिंग; नहरों में तलछट परिवहन; भाराश्रित बांधों के अनुपुलाबी तथा उत्पलावली परिच्छेद और उनका अभिकल्पन, ऊर्जा क्षयकारक और पुच्छजल निधारण मुख् कर्मान्त (हिडवर्कस), वितरण कार्यों, प्रतापों, प्राणामी जल निकास निर्माण कार्यों, निर्माण मार्गों का अभिकल्पन, नदी नियंत्रण।

3. पर्यावरण इंजीनियरी :

(क) जल आपूर्ति इंजीनियरी : आपूर्ति के स्रोत, प्राणित, अंतर्ग्रहियों तथा चालकों का अभिकल्पन, मांग का आंकलन; जल गुणता मानक; जल से उत्पन्न होने वाले रोगों का नियंत्रण, प्राथमिक तथा परवर्ती उपचार (उपचार एफ़कों का वितरण और रखरखाव; उपचारित जल के परिवहन तथा वितरण की प्रणालियां, क्षरण तथा नियंत्रण; प्राणामी जल आपूर्ति; संस्थागत तथा औद्योगिक जल आपूर्ति।
(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी : शहरों में बरसात के पानी की निकासी; मल जल

(सीवेज) के एकत्रीकरण और उसके निपटान की प्रणालियां; सीवरों और मलक जल व्यवस्था प्रणाली का अभिकल्पन; पंपिंग, मलक जल की विशेषताएं और इसका उपचार; मलक जल उपचार से प्राप्त उत्पादों का निपटान; शांत प्रवाह पुनर्नवीकरण, मलक का संस्थागत और औद्योगिक प्रबंध; नलकारी प्रणालियां; प्राणामी एवं उप नगरीय सफाई व्यवस्था।

(ग) ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध : स्रोत, वर्गीकरण, एकत्रीकरण और निपटान, कलवा स्थलों का अभिकल्पन और उनका प्रबंध।

(घ) वायु तथा ध्वनि, प्रदूषण और परिस्थिति विज्ञान :

वायु प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखना; ध्वनि प्रदूषण एवं मानक; परिस्थितिक श्रृंखला और संतुलन, पर्यावरण का मूल्यांकन।

4. (क) मृदा यांत्रिकी : मृदाओं की विशेषताएं, वर्गीकरण एवं अंतः संबंध; संहनन व्यवहार, संहनन की विधियां और उनका चयन; विशिष्ट चुंबक शीलता और रिसन; प्रवाह जाल, प्रतिक्रियात्मिक निस्यंदक (फिल्टर); संपीड्यता और संपीडन; अपरूपण प्रतिरोध, प्रतिबल और भंगत; प्रयोगशालाओं और स्वस्थानों पर मृदा परीक्षण, प्रतिबल पथ और अनुप्रयोग; मृदा दाब सिद्धांत; मृदा में प्रतिबल वितरण; मृदा अन्वेषण, प्रतिदर्श यंत्र, भारन परीक्षण, अंतर्वेशन परीक्षण।

(ख) नींव इंजीनियरी : नींव के प्रकार, चयन मानदंड, वहन क्षमता, निषेदन, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र परीक्षण; स्थूणों के प्रकार, उनके अभिकल्प और अभिविन्यास, प्रसरणशील मृदा पर नींव, प्रसरण और इसकी रोकथाम, प्रसरणशील मृदा एवं नींव बनाना।

5. (क) सर्वेक्षण : सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, पैमाने, परिशुद्धता, दूरियों का मापन-प्रत्यक्ष एवं परोक्ष पद्धतियां; प्राकाशिक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, दिशाओं का मापन; सन्पाश्र्तीय विकसूचक, स्थानीय आकर्षण; थियोडोलाइट किस्में, उंचाई का मापना-साधनी (स्पिरिट) तथा त्रिकोणमितीय तलेक्षण; उभार निरूपण; समोच्च रेखाएं, अंकीय उदविशेष निदर्शन संकल्पन, त्रिकोणन तथा चक्रण द्वारा निर्वचकों की स्थापना-श्रेणियों का मापन और समायोजन, निदर्शांको का अभिकल्पन; क्षेत्र संबंधी खगोल विज्ञान, सार्वभौतिक, अवस्थानिक प्रणाली की संकल्पना; प्लेन टेबल और फोटोग्रामीटरी द्वारा नक्शे बनाना मानचित्र बनाना, दूरस्थ संविदन संकल्पनाएं, नक्शों के विकल्प।

(ख) परिवहन इंजीनियरी : महामार्गों की आयोजना, संरक्षण तथा ज्यामितीय अभिकल्प, आइं तथा तिरछे चक्र ग्रेड पुव्वकरण; विभिन्न पृष्ठों के लिए निर्माण सामग्री तथा निर्माण पद्धति और उनका रखरखाव; पेवमेंट डिजाइन के सिद्धांत; जलनिकासी। यातायात सर्वेक्षण; चौराहे, सिगनल व्यवस्था; व्यापक पारगमन प्रणाली, अभिगम्यता, नेटवर्क तैयार करना, सुरंगें बनाना, संरक्षण, निर्माण विधियां, गंदगी का निपटान, जलनिकास, प्राकाश व्यवस्था और संवातायन, यातायात नियंत्रण, आपातकालीन प्रबंध। रेल प्रणाली का आयोजन, गेज, पटरी, नियंत्रणों, पारामन, रोलिंग स्टॉक, कर्षण शक्ति तथा रेल मार्गों के आयुनिकीकरण से संबंधित शब्दावली एवं अभिकल्प; रखरखाव; अनुबद्ध कार्य; डिब्बों की व्यवस्था (कन्टेनराइजेशन)।

बंदराह अभिन्यास, नौपरिवहन मार्ग, लंगर डालना, स्थान निर्धारण, अपरदन और निक्षेप सहित बेलांचली परिवहन; गहराईमापन विधि; शुष्क एवं जल गोदी, विभिन्न अंग और प्रचालन; ज्वारीय आंकड़े एवं उनका विश्लेषण।

विमानपत्तन : विन्यास एवं अभिविन्यास; हवाई पट्टी तथा टेक्सी पथ अभिकल्प एवं जलनिकासी व्यवस्था; मण्डलन नियम; दृष्टि सहायक उपकरण और हवाई यातायात नियंत्रण; हेलीपैड, हेंगर, सेवा (सर्विस) उपस्कर।

यांत्रिक इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

1. ऊष्मागतिकी की चक्र और आईसी इंजन, संकल्पना, संवृत और विद्युत् तंत्र/ऊष्मा और कार्य, शून्यकोटि,

प्रथम तथा द्वितीय नियम, अप्रवाही तथा प्रवाही प्रक्रमों में अनुप्रयोग, एन्ट्रॉपी, उपलब्धता, अनुक्रमणीयता और ऊष्मागतिक संबंध, क्लोपिरॉन और वास्तविक गैस समीकरण। आर्दश गैसों और वाष्पों के गुणधर्म। मानक वाष्प, गैस शक्ति तथा प्रशीतन चक्र टिपद संपीडन, सीआई और एसआई इंजन पूर्व ज्वलन अधिसफोटन और डीजल अपसफोटन, ईंधन अंतःक्षेपण और कार्बुरेशन, अधिभरण, टर्बो प्रोप और राकेट इंजन, इंजन शीतन, उत्सर्जन तथा निर्वचण, प्लू गैस विश्लेषण कैलोरी मानों का मापन, पारंपरिक तथा नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय विद्युत् शक्ति उत्पादन के अवयव।

2. ऊष्मा अन्तरण तथा प्रशीतन और वातानुकूलन-ऊष्मा अन्तरण की पद्धतियां, एकविमी अपरिवर्ती तथा परिवर्ती चलन, संयोजित पटिया (स्लेब) तथा तुल्य प्रतिरोध, विस्तारित पृष्ठों से ताप विसरण, ऊष्मा विनिमयित, सर्वांग ऊष्मा अन्तरण गुणांक, स्तरिय तथा विक्षुब्ध प्रवाहों में तथा मुक्त और प्रणोदित संवहन हेतु ऊष्मा अंतरण के लिए आनुभविक सहसंबंध, चपटी प्लेट के ऊपर तापीय सीमांत परत विसरणी तथा संवन्धी द्रव्यमान अंतरण के मूल तत्व, कृष्णिका (ब्लैक बॉडी) तथा विकिरण की मूल संकल्पनाएं, संवेष्टन सिद्धांत और अनुणक, नेटवर्क विश्लेषण, ऊष्मा पंप और तन चक्र तथा तंत्र, प्रशीतक, संयोजित वाष्पित्र तथा प्रसार युक्तियां, आर्द्रतामिति, चार्ट तथा वातानुकूलन में अनुप्रयोग, संवेध ऊष्मन तथा शीतन, प्रभावी तापमान, सुखद सूचकांक, भार परिकल्पन, सौर प्रशीतन, निर्वचण, वाहनी अभिकल्पन।

3. तरल यांत्रिकी :

तरलों के गुणधर्म और उनका वर्गीकरण दाबांतरमापनमिति, निमज्जित पृष्ठों पर बल, दाब का केन्द्र, उत्प्लावकता, प्लावित पिण्डों के स्थायित्व के घटक, शुद्धगतिकी और गतिकी, आधुनिक तथा असीं-इय अस्थान प्रवाह, वेग विषय, निमज्जित पिण्डों पर दाब क्षेत्र तथा बल, बरनूली समीकरण, पाइपों में से पूर्ण विकसित प्रवाह, दाब पात गणनाएं, प्रवाह दर तथा दाब मापन, सीमांत परत सिद्धांत के अवयव, समकाल उपागमन, स्तरिय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, पुव्वकरण, विवर तथा खांचों से प्रवाह, विवृत वाहिका प्रवाह, जलोच्छाल, विमरहित संक्षेपण, विमीय विश्लेषण, समरूपता तथा निदर्शन, एक विमीय समएन्ट्रॉपी प्रवाह, अभिलंब तथा गैरा तंत्र, अभिसारी विभिन्न वाहिनियों से प्रवाह, निर्वच प्रवाह तंत्र, रेतें तथा फैलो रेखाएं।

4. तरल मशीनरी तथा भाप जनित्र :

निष्पादन, द्रवचलित पंप का प्रचालन तथा नियंत्रण और आवेग एवं प्रतिक्रिया टर्बाइन, विशिष्ट चाल, वर्गीकरण, ऊर्जा अंतरण, युग्मन, शक्ति संवचण, भाप जनित्र, अग्नि-नलिका तथा जल-नलिका बॉयलर, तुड़ों तथा विसारकों में से भाप का प्रवाह, आर्द्रता एवं संघनन, भाप तथा गैस टर्बाइनों के विभिन्न प्रकार, वेग आरेख, आंशिक प्रवेश, प्रत्यागामी, प्रत्यागामी, अपकेंद्री तथा अक्षीय प्रवाह संपीडक, बहुपद संपीडन, मैक संख्या की भूमिका, पुनःताप, पुनर्नहन, अधिविचयन।

प्रश्न-पत्र 2

5. मशीनों का सिद्धांत : समतलीय यांत्रिकत्व का शुद्धगतिकी और गतिकी विश्लेषण, कैप गियर तथा गियर मालाएं, गतिपालक चक्र, अधिविचयन (गवर्नर्स), दृढ़ पूर्णकों का संतुलन तथा क्षेत्र संतुलन, एकल तथा बहुसिंलंडर इंजनों का संतुलन, यांत्रिक तंत्रों का रेखीय क्पन विश्लेषण शैपटों की क्रांतिक गति और क्रांतिक घूर्णी गति, स्वतः नियंत्रण।

6. मशीन का अभिकल्पन :

जोड़ों का अभिकल्पन : काटर, कुजियां, स्लाइडें, बेल्टिड जोड़, वृडीदार बंधक, व्यतिकरण अन्त्यायोजन द्वारा निश्चित संधि घर्षण चालन का अभिकल्पन : युगम तथा ग्राम (क्लच), पट्टा-चालन तथा श्रृंखला चालन, पावर स्टू शक्ति संचरण तंत्र का अभिकल्पन : गियर तथा गियर-चालन, शैप्ट तथा थ्रुटी, तार-रज्जु-वेयरिंग का अभिकल्प : द्रवगतिक वेयरिंग तथा रोलिंग एलिमेंट वेयरिंग।

7. द्रव्यों का सामर्थ्य

दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति, मुख् प्रतिबल और विकृति, मोहर निर्माण, रेखीय प्रत्यास्य पदार्थ, सरदईशकता और विषम-दृशिकता, प्रतिबल-विकृति

संबंध, एक अक्षीय मारण, तापीय प्रतिबल. धरन: बंकन आधुनिक और अपरूपण बल आरेख, बंकन प्रतिबल और धरन विशेष अपरूपण प्रतिबल वितरण. शैफ्टों की एंटर, कुंडलिनी स्प्रिंग, संयुक्त, प्रतिबल, मोटी व पतली दीवारों वाले दाब पात्र, संपीडांग और स्तंभ, विकृति ऊर्जा संरक्षण, विफलता सिद्धांत.

8. इंजीनियरी पदार्थ :

ठोस पदार्थों की संरचना की मूल संकल्पनाएं, क्रिस्टलीय पदार्थ क्रिस्टलीय पदार्थ में दोष, मिश्रधातु और द्विअंकी कला आरेख, सामान्य इंजीनियरी पदार्थों की संरचना और गुणधर्म, इस्पात का ऊष्मा उपचार, प्लास्टिक, मृत्तका और संयोजित पदार्थ, विभिन्न पदार्थों के सामान्य अनुप्रयोग.

9. उत्पादन इंजीनियरी :

धातु प्ररूपण : फोर्जन करण और बहिर्बंदन के मूल सिद्धांत : उच्च ऊर्जा दर प्ररूपण; धुंध धातुविज्ञान. **धातु ढलाई :** ठण्णा ढलाई, निवेश ढलाई, कोश गढ़ाई, उपकेंद्री ढलाई, गिटिंग एवं आरोही अभिकल्प, गलन भट्टियां.

संचारण प्रक्रम : गैस, आर्क परिवर्तित आर्क वेल्डन के सिद्धांत; अग्रिम वेल्डन प्रक्रम, वेल्डनीयता; वेल्डन का धातुगुण.

धातु कर्तन : खारोदन, पेच उत्पादन की विधियां, बरमाई, बेधनमिलिंग, गियर विनिर्माण, सपाट सतहों का उत्पादन, पेपण और परिष्कृत प्रक्रम, कंप्यूटर नियंत्रित विनिर्माण पद्धति सीएनसी, डीएनसी, एफएमएस, स्वचालन और रोबोटिक्स कर्तन औजार पदार्थ, औजार ज्यामिति, औजार नियंत्रण क्रियाविधि, औजार आयु और मशीन सुकरता; कर्तन बलों का मापन, मशीन का आर्थिक विवेचन. अंतरांग मशीन प्रक्रम, जिंस और अन्वयुक्तिया अन्वयोजन और सहिष्णुता घुट गठन का मापन, तुलनित, मशीनी औजारों का संरक्षण परीक्षण और पुनर्नीयन.

10. औद्योगिक इंजीनियरी :

उत्पादन योजना और नियंत्रण; पूर्वाभूतान-गतिमान माध्यम, चरधातांकी मरुणीकरण, सक्रिया अनुसूचन; समन्वयोजन रोखा संतुलन, उत्पाद विकास, संतुलन स्तर विश्लेषण, धारिता योजना पर और सीपीएम नियंत्रण सक्रिया : माल सूची नियंत्रण एवीसी विश्लेषण, ईओक्यू निर्देश, पदार्थ आवश्यकता योजना, कुल्यक अभिकल्पना, कुल्यक मानक, कार्य मापन, गुणवत्ता प्रबंध गुणवत्ता विश्लेषण और नियंत्रण सक्रिया अनुसूचन: रेखीय प्रोग्रामन-आफीस और सिम्प्लेक्स विधियां, परिवहन और समुनेदशननिर्देश, एकक एवं पक्ति निर्देश.

मूल्य इंजीनियरी : लागत मूल्य के लिए मूल्य विश्लेषण. **11. अभिकलन के घटक :** अभिकलन (कंप्यूटर) संगठन, प्रवाह संचरण, सामान्य कंप्यूटर भाषाओं-फोर्ट्रान, डी बेस III, लोटस 1-2-3, सीके अभिलक्षण और प्रारंभिक क्रमादेशन (प्रोग्रामन).

वैद्युत इंजीनियरी

(वस्तुपरक और परम्परागत दोनों

प्रश्न पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

1. वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत : वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र गाउस नियम और एम्पियर नियम, परावैद्युत, चालक तथा चुंबकीय पदार्थों में वैद्युत क्षेत्र, मैक्सवेल समीकरण, समय परिवर्ती क्षेत्र, परावैद्युत तथा चालक माध्यम में समतल तरंग संचरण. संचरण लाइनें.

2. विद्युत पदार्थ :

बैंड सिद्धांत, चालक, ताम्र-चालक और विद्युतरोध. अतिचालकता विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग के लिए विद्युतरोधक. चुंबकीय पदार्थ. लोह और लघु लोह चुंबकत्व. मृत्तका, गुणधर्म और अनुप्रयोग. हॉल प्रभाव और इसके अनुप्रयोग. विशेष ताम्रचालक.

3. विद्युत परिपथ :

परिपथ अवयव क्रिचोफ नियम. पाश और निरस्य विश्लेषण. जाल (नेटवर्क) सिद्धांत और अनुप्रयोग. प्राकृतिक अनुक्रिया और वक्रतु अनुक्रिया यादृच्छिक निवेशों के लिए क्षणिक अनुक्रिया और स्थायी दशा अनुक्रिया ध्रुवों और शून्यों से संबंधित जाल के गुणधर्म, अंतरित फलन. अनुनाद परिपथ. त्रिकला परिपथ द्वि-द्वार जाल. द्वि-अवयव जाल संश्लेषण के अवयव.

4. मापन और मापयंत्रक :

मात्रक और मानक. त्रुटि विश्लेषण. धारा, वोल्टता, विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति गुणक और ऊर्जा मापन. सूचक माप यंत्रक, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारित और आवृत्ति मापन. सेतु मापन. इलेक्ट्रॉनिक माप यंत्र. अंकीय वसेलमीटर और आकृति गणित्र. परांतरित और ताप, दाब, प्रवाह-दर विस्थापन, चरण, रव-स्तर आदि जैसी गैर-विद्युत राशियों के माप में उनका अनुप्रयोग, आंकड़े प्राप्त करने की पद्धति. अनुरूप-अंकीय और अंकीय-अनुरूप रूपांतरित.

5. नियंत्रण तंत्र :

भौतिक तंत्रों का गणितीय निदर्शन, खंड आरेख और संकेत प्रवाह आलेख और उनका समायोजन. रेखीय गतिक तंत्र का समय प्रक्षेप और आवृत्ति प्रक्षेप. विश्लेषण. पुनः निवेश तंत्रों के लिए विभिन्न किंस के निवेश और स्थायित्व निकष के लिए त्रुटियां, राउयहरी विट्ज आव्यूह, नाइक्विस्ट आलेख और बांडे आलेख का प्रयोग करते हुए स्थायित्व विश्लेषण, मूल बिन्दुपथ और निकोल चार्ट तथा लब्धि और कला उपांत का आकलन, प्रतिकारक अभिकल्प की मूल संकल्पना. अवस्था परिवर्ती आव्यूह तथा तंत्र निदर्शन और अभिकल्प में उसका प्रयोग प्रतिचयित दत्त तंत्र और त्रुटि सरणी में प्रतिदर्श के साथ ऐसे तंत्र का निष्पादन. प्रतिचयित दत्त तंत्र का स्थायित्व. अरेखीय नियंत्रण विश्लेषण के अवयव, नियंत्रण तंत्र घटक, विद्युत यांत्रिक, इवचालित, वायुचालित घटक.

प्रश्न-पत्र 2

1. विद्युत तंत्र तथा विद्युत परिणामित्र (पावर ट्रांसफार्मर्स) :

सुब्युकीय परिपथ : विद्युत परिणामित्रों का विश्लेषण तथा अभिकल्पन. निर्माण तथा परीक्षण, तुल्य परिपथ. हानियां तथा दक्षता. नियंत्रण. स्वपरिणामित्र. त्रिकला परिणामित्र. समांतर ध्रुवीय यंत्रों की मूल संकल्पनाएं. विद्युत वाहक बल (E.M.F.) बल-आधुन्य, यंत्रों की मूल किंसमें. निर्माण तथा प्रचालन, क्षरण हानियां तथा दक्षता.

दि.धा. यंत्र निर्माण. उत्तेजन की विधियां. परिपथ प्रतिरूप. आमंत्रण प्रतिक्रिया तथा दिक्परिवर्तन. अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण. जनित्र तथा मोटर्स. प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण, परीक्षण, हानियां तथा दक्षता. तुल्यकालिक यंत्र. निर्माण. परिपथ निर्देश. प्रचालन अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण, तुल्यकालिक प्रतिघात, दक्षता वोल्टता नियंत्रण. सम्तु ध्रुव यंत्र. समांतर प्रचालन. चाल दोलन. लघु परिपथ क्षणिकाएं. प्रेरणायंत्र. निर्माण प्रचालन के सिद्धांत पूर्ण क्षेत्र, अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण. परिपथ निर्देश का निर्धारण. वृत्त आरेख. प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण. भिन्नात्मक कि.जा. मोटर्स. एकक प्रावस्था तुल्यकालिक तथा प्रेरण मोटर्स.

2. विद्युत तंत्र : विद्युत केन्द्रों की किंसमें. जल, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत केन्द्र. पॉपित संचयन संयंत्र, आर्थिक और प्रचालन उत्पादन.

विद्युत संचरण लाइनें. निदर्शन तथा निष्पादन अभिलक्षण. वोल्टता नियंत्रण, भार प्रवाह अध्ययन. इष्टतम विद्युत तंत्र प्रचालन. भार आवृत्ति नियंत्रण, सममित लघु परिपथ विश्लेषण. जेड-बस सूत्रीकरण. सममित घटक. प्रति इकाई निरूपण. दोष विश्लेषण. विद्युत तंत्रों का क्षणिका तथा स्थायी दशा स्थायित्व. विद्युत तंत्र क्षीणताएं, विद्युत तंत्र सुरक्षा परिपथ विद्योजकारित. उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (एचवीडीसी) संचरण.

3. अनुरूप और अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा परिपथ : साम्रि चालक युक्ति भौतिकी. पीएन संयुक्त तथा ट्रांजिस्टर. परिपथ निर्देश तथा प्राचल. एफडीटी, जीनर, टनल, शॉटकी, फोटो डायोड तथा उनके अनुप्रयोग, दिष्टकारी परिपथ, वोल्टता नियंत्रक तथा वोल्टता परिवर्धक. डायोड तथा ट्रांजिस्टरों का स्थिचन आचरण. लघु संकेत प्रवर्धक. अभिनति परिपथ. आवृत्ति अनुक्रिया तथा उसमें सुधार. बहुपद प्रवर्धक तथा पन निवेशन प्रवर्धक. संक्रियात्मक प्रवर्धक. दि. धा. प्रवर्धक. दोलित वृत्त संकेत प्रवर्धक, युग्मन विधियां. दाब-कर्षण प्रवर्धक. सक्रियात्मक प्रवर्धक. तरंग रूपण परिपथ.

बहुकृत्रि तथा फ्लिप-फ्लोप और उनके अनुप्रयोग. अंकीय तर्कद्वार कुल. सार्वत्रिक द्वार अंकगणितीय तथा तर्क संक्रियात्मक के लिए संयुक्त परिपथ. अनुक्रमिक तर्क परिपथ. गणित्र, पंजियां (रजिस्टर) यादृच्छिक अभिगम स्मृति (आरएएम) तथा केवल पठन स्मृति (आरओएम).

4. सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) :

सूक्ष्म संसाधित्र वास्तुकला-अनुदेश समुच्य तथा एकल कोडतरंग भाषा क्रमादेशन, स्मृति के लिए अन्तरापृष्ठीकरण तथा आदेशसूचक संक्रिया विद्युत तंत्र में सूक्ष्म संसाधित्र के अनुप्रयोग.

5. संचार तंत्र :

मॉडुलन के प्रकार, एएम, एफएम तथा पीएम विमॉडुलक, रव तथा बैंड चौड़ाई का विवेचन. अंकीय संचार तंत्र स्पंद कोड मॉडुलन तथा विमॉडुलन. ध्वनि तथा दृश्य प्रसारण के घटक. आवृत्ति विभाजन और काल विभाजन बहुसंकेतन. विद्युत इंजीनियरी में द्रमिति प्रणाली.

6. विद्युत शक्ति (पावर) इलेक्ट्रॉनिकी : विद्युत शक्ति सामिचालक युक्तियां. थार्डिस्टर. विद्युत शक्ति ट्रांजिस्टर, जीटीओ तथा एमओएसएफडीटी अभिलक्षण तथा प्रचालन. प्रयावर्ती धारा (एसी) से दिष्ट धारा (डीसी) परिवर्तक, एक कला और त्रिकला दिष्ट धारा (डीसी) परिवर्तक. प्रयावर्तीधारा (एसी) नियंत्रक, थार्डिस्टर नियंत्रित प्रतिघातक. स्थिच संधारित्र जाल.

प्रतीपक; एकल कला तथा त्रिकला. स्पंद चौड़ाई मॉडुलन. समान प्रतिचयन सहित ज्यवाक्रीय मॉडुलन. स्थिच विद्या विद्युत प्रदाय.

इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी (वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

1. पदार्थ एवं घटक : विद्युत इंजीनियरी पदार्थों की संरचना एवं गुणधर्म, चालक, सामिचालक और विद्युतरोधक, चुंबकीय, लोह, विद्युत, दाब विद्युत, मृत्तका, प्रकाशिक और अतिचालक पदार्थ. निष्क्रिय-घटक और अभिलक्षण. प्रतिरोधक, संघारित्र और प्रेरक, फेराइट्ट क्वाटर्ज क्रिस्टल, मुक्तिका अनुनादक, विद्युतचुंबकीय और विद्युत यांत्रिक घटक.

2. भौतिकी इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉन युक्तियां और एकीकृत परिपथ (आईसी) :

सामिचालकों में इलेक्ट्रॉन और हाल, वाहक सांख्यिकी, सामिचालक पदार्थों का प्रवाह की क्रियाविधि, हाल प्रभाव, संधि (जंक्शन) सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के डायोड एवं उनके अभिलक्षण; विद्युत द्विध्रुवी (बायपोलर) संधि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर; एससीआर, सी.टी.ओ. और पावर मासफेट जैसा पावर स्थिच युक्तियां, द्विध्रुवी मोस और सी-मोस किंस के एकीकृत परिपथों का आधारभूत ज्ञान; प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिकी का आधारभूत ज्ञान.

3. संकेत एवं तंत्र :

संकेतों एवं तंत्रों का वर्गीकरण; अवकल एवं अंतर समीकरणों के आधार पर तंत्र निदर्शन; अवस्था चर निरूपण; फोरिए श्रेणी; फोरिए रूपांतर और तंत्र विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग; लाप्लास रूपांतर और तंत्र विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग; संवलन एवं अध्यारोपण समाकल और उनका अनुप्रयोग; - रूपांतर और स्थिच काल प्रणाली के विश्लेषण और अभिलक्षण में उनके अनुप्रयोग; यादृच्छिक संकेत तथा प्राथिकता, सहसंबंध फलन; स्पेक्ट्रमी घनत्व; यादृच्छिक निवेशों के प्रति रैक्षिक तंत्र की अनुक्रिया.

4. जाल (नेटवर्क) सिद्धांत :

जाल विश्लेषण तकनीक, विभिन्न जाल सिद्धांत, क्षणिक अनुक्रिया, स्थायी अवस्था ज्यवाक्रीय अनुक्रिया, विभिन्न जाल आलेख और जाल विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग. टेलीफोन-सिद्धांत. द्वि द्वार जाल (Two Ports Network) : Zyl और संचरण प्राचल, द्वि द्वारों का संयोजन, सामान्य द्वि द्वारों का विश्लेषण. विभिन्न जाल फलन: जाल फलनों का भाग, दिष्ट गा धास से जाल फलन प्राप्त करना. संचरण निष्कर्ष: विलंब और उन्नय काल, एलमोर की और अन्य परिभाषाएं; संपापी प्रभाव. जाल संश्लेषण के अवयव.

5. विद्युत चुंबकीय सिद्धांत :

स्थिर वैद्युत तथा चुंबकीय स्थिर क्षेत्रों का विश्लेषण: लाप्लास प्वातों की समीकरण, सीमांत मूल्य समस्याएं और उनका समाधान. मैक्सवेल-समीकरण: परिवर्द्ध तथा अपरिबद्ध माध्यम से तरंग संचरण के लिए अनुप्रयोग; संचरण लाइनें, मूल सिद्धांत, अग्रगामी तरंगें, प्रतिरूपी अनुप्रयोग, सूक्ष्मपट्टी लाइनें, तरंग पथकों और अनुनादकों का मूलभूत ज्ञान, ऐन्टेना सिद्धांत के अवयव.

6. इलेक्ट्रॉनिक मापन और मापयंत्रण :

मूल संकल्पना, मानक और त्रुटि विश्लेषण; मूल वैद्युत राशियों और प्रचालों का मापन; इलेक्ट्रॉनिक माप यंत्र तथा उनकी कार्य प्रणाली के सिद्धांत: अनुरूप और अंकीय; तुलना अभिलक्षण और अनुप्रयोग, ट्रांसड्यूसर: ताप, दाब, आद्रता आदि जैसी गैर-विद्युत राशियों का इलेक्ट्रॉनिकी मापन; औद्योगिक उपयोग के लिए दूरमित का मूलभूत ज्ञान.

प्रश्न-पत्र 2

1. अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ :

ट्रांजिस्टर अभिनतिकरण और स्थायीकरण, लघु संकेत विश्लेषण, शक्ति प्रवर्धक, आर्वति अनुक्रिया. विस्तृत बैंड तकनीक. पुनर्भरण (फीड बैक) प्रवर्धक. समस्वरित प्रवर्धक. दोलित दिष्टकारी और विद्युत प्रदाय, ओपी एम्प, पीओएलएल (O.P. Amp, PLL), अन्य रैक्षिक एकीकृत परिपथ और उनके प्रयोग. स्पंद आकृति संशोधक परिपथ और तंत्ररूप जनिच.

2. अंकीय इलेक्ट्रॉनिक परिपथ :

स्थिचन अवयव के रूप में ट्रांजिस्टर, ब्रुलीय फलनों का सरलीकरण, कारनाफ प्रतिचयन और अनुप्रयोग; विभिन्न एकीकृत परिपथ (आईसी) तर्क द्वार और उनके अभिलक्षण; एकीकृत परिपथ तर्क परिवार : डीटीएल, डीटीएल, ईसीएल, एनमोस (NMOS), पी मोस (PMOS) और सी मोस (CMOS) द्वार और उनकी तुलना; संयुक्त तर्क परिपथ; अर्धयोजक, पूर्ण योजक; अंकीय तुलनित, बहुसंकेतक (मरटी प्लेक्सर), विद्युतसंकेतक (डिम्मटी प्लेक्सर), केवल पठन स्मृति (आरओएम) और उनका अनुप्रयोग; विभिन्न फ्लिप-फ्लोप RS, JK, D और T फ्लिप फ्लोप, विभिन्न प्रकार के गणित और पंजियां, तरंगरूप जनिच, अनुसूच-अंकीय और अंक-अनुरूप परिवर्तक सामिचालक स्मृतियां.

3. नियंत्रण तंत्र :

नियंत्रण तंत्रों की क्षणिक और स्थायी अवस्था अनुक्रिया; स्थायित्व और संवेदनशीलता पर पुनर्भरण का प्रभाव; मूल बिन्दुपथ तकनीक; आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण लब्धि और प्रावस्था उपांतों की संकल्पनाएं, अचर-एम और अचर-एन निकोल-चार्ट, अचर-एन निकोल चार्ट से क्षणिक अनुक्रिया का सन्निकटन; संकेतुत गास आवृत्ति अनुक्रिया से क्षणिक अनुक्रिया का सन्निकटन. नियंत्रण तंत्रों का अभिकल्पन, प्रतिकारित्र औद्योगिक नियंत्रण.

4. संचार तंत्र :

आधारभूत सूचना सिद्धांत : अनुरूप और अंकीय तंत्रों में मॉडुलन और संसूचन प्रतिचयन और पुनर्निर्माण क्वांटमीकरण और कूटलेखन, काल विभाजन और आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन, समकरण, मुक्त आकाश और तंतु प्रकाशीकीय में प्रकाशित संचार; उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति परा उर्च आवृत्ति और सूक्ष्मतरंग आवृत्ति पर संकेतों का संचरण; उपग्रह संचार.

5. सूक्ष्मतरंग इंजीनियरी :

सूक्ष्मतरंग नलिकाएं और ठोस अवस्था युक्तियां, सूक्ष्मतरंग जनन और प्रवर्धक, तरंग पथक और अन्य सूक्ष्मतरंग घटक और परिपथ, सूक्ष्मपट्टी परिपथ, सूक्ष्मतरंग ऐन्टेना, सूक्ष्मतरंग मापन, मेजर (Masers) लेजर, सूक्ष्म तरंग संचरण. पाथिव और उपग्रह आधारित सूक्ष्मतरंग संचार तंत्र.

6. कम्प्यूटर इंजीनियरी :

संख्या पद्धति; आंकड़ा-निरूपण वक्रादेशन; उच्च स्तर वक्रादेशन भाषा पास्कल/सी (Pascal/C) के अवयव. आधारभूत आंकड़ा संरचनाओं का प्रयोग. कंप्यूटर वास्तुकला के मूल अवयव. संसाधित्र अभिकल्पन; नियंत्रण एकक अभिकल्पन, स्मृति संगठन, निवेश/निर्गम तंत्र संगठन, सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रो-प्रोसेसर); सूक्ष्म-संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) 8085 और 8086 की वास्तुकला और अनुदेश समुच्य, कोडतरंग भाषा वक्रादेशन; सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) आधारित तंत्र अभिकल्पन : प्रतिरूपी उदाहरण. वैयक्तिक कंप्यूटर और उनके प्रतिरूपी प्रयोग.

परिशिष्ट-II (क)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश

उम्मीदवार वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> का उपयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- ◆ ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- ◆ उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- ◆ ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किए गए 50/- रु. (केवल पचास रुपये) के शुल्क (अ.जा., अ.ज.जा., महिला/शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक

की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरक्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.

- ◆ ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऐसे तरीके से पीएनजी/जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 कैंबी से अधिक नहीं हो.
- ◆ ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक 8 जनवरी, 2011 से 7 फरवरी, 2011 रात 11.59 बजे तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोग्य होगा.

परिशिष्ट-II (ख)

नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट दूरदराज में रहने वाले उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं के लिये सामान्य अनुदेश/दिशा निर्देश

- उम्मीदवार **परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध निर्दिष्ट डाकघरों में से किसी भी प्रधान डाकघर/डाकघरों से सूचना पुस्तिका सहित खरीदे गए प्रपत्र** का ही प्रयोग करें. प्रपत्र केवल डाकघर से खरीदना चाहिए न कि किसी अन्य एजेंसी से. उम्मीदवार **केवल सूचना पुस्तिका सहित लिए गए प्रपत्र का ही प्रयोग करें और किसी भी स्थिति में प्रपत्र को छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति प्रयोग में न लाएं.** आवेदन प्रपत्र आयोग के कार्यालय से नहीं दिया जाएगा.
- आवेदन प्रपत्र उम्मीदवारों द्वारा अपने हाथ से भरा जाना चाहिए. चूँकि इस प्रपत्र को संगणक (कंप्यूटर) मशीनों द्वारा जांच की जाएगी, उम्मीदवार **आवेदन प्रपत्र के रखरखाव और उसे भरने में पूर्ण सावधानी बरतें.** उन्हें **गोलों को काला** करने के लिए केवल **एच.बी. पेंसिल** का प्रयोग करना चाहिए. बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें **नीले या काले पेन का प्रयोग** करना चाहिए. चूँकि उम्मीदवारों द्वारा गोलों को काला करने की गई प्रविष्टियों को संगणक (कंप्यूटर) मशीनों द्वारा आवेदन प्रपत्रों को संसाधित करते समय ध्यान में रखा जाएगा इसलिए उन्हें यह प्रविष्टियाँ ध्यानपूर्वक तथा सही रूप से भरनी चाहिए. बॉक्सों में दी गई प्रविष्टियाँ अनुमोदन के लिए हैं अतः इन्हें भी ठीक प्रकार से भरना चाहिए. गोलों को काला करके की गई प्रविष्टियाँ तथा साथ दिए गए बॉक्सों में की गई प्रविष्टियों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवार ध्यान रखें कि दोनों क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक रचना अनिवार्य है जिससे कि दोनों प्रविष्टियों में कोई भिन्नता न हो.
- उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ सारे पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है.
- मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी.
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह **सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अंतिम तारीख तक या इससे पहले पहुंच जाएं.** आयोग कार्यालय में अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
- उम्मीदवारों को अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा के लिए अपने केंद्र और इंजीनियरी विषय के चुनाव के बारे में सावधानीपूर्वक निश्चय कर लेना चाहिए. उम्मीदवार द्वारा विभिन्न केंद्रों/इंजीनियरी विषयों को दर्शाने वाले एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. चाहे उम्मीदवार ने एक से अधिक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे हों तो भी आयोग अपने विवेकानुसार केवल एक आवेदन पत्र को स्वीकार करेगा और इस मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.
- उम्मीदवार पावती कार्ड पर अपने **आवेदन प्रपत्र की संख्या** पर बार कोड के नीचे छपे अनुसार **तथा परीक्षा का नाम** जैसे **"इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011"** लिखें. वे पावती कार्ड पर अपना डाक का पता भी सुपाठ्य तथा स्पष्ट रूप से लिखें. पावती कार्ड पर रु. 6/- की डाक टिकट लगी होनी चाहिए. **पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टेपल या पिन या टेग अथवा चिपकाएँ नहीं.**

पात्रता शर्तें (संक्षेप में)

- आयु सीमा :** 1.8.2011 को 21 से 30 वर्ष है. (अ.जा./अ.ज.जा./अ.ज.जा. अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा नोटिस के पैरा 3(ii) में यथानिर्दिष्ट कुछ अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है.)
- शैक्षिक योग्यता :** इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष. कुछ निश्चित पदों के लिए विशेष विषय रूप में बेतार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो भौतिकी अथवा रेडियो इंजीनियरी सहित एमएससी डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता भी स्वीकार्य है. [नोटिस के पैरा 3 (III) देखें]
- शुल्क :** रु. 50 (केवल पचास रुपये) ऑनलाइन आवेदन के लिये. रु. 100/- (केवल एक सौ रु.) उल्लिखित दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे उम्मीदवारों के लिये जो ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं. (केवल महिलाओं/अ.जा./अ.ज.जा./शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं). (नोटिस का पैरा 4 देखें)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011 के लिए

सामान्य आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

आवेदन प्रपत्र का साइड-1

कालम-1 : आवेदित परीक्षा

"ENGG" के सामने वाले गोले को काला करें. परीक्षा के नाम वाले बॉक्स में बाईं ओर से पहले बॉक्स से शुरू करके "ENGG" लिखें. परीक्षा के वर्ष वाले बॉक्स में 2011 भी लिखें.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने बॉक्स में परीक्षा का नाम अर्थात् "ENGG" ठीक से लिख दिया है इस संबंध में किसी त्रुटि के कारण उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है.

कालम-2 : शुल्क

यदि आपने रु. 100/- (एक सौ रुपये) का अपेक्षित शुल्क दिया है तो गोला नं. 1 को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या

यदि आपने शुल्क अदा नहीं किया है और महिला, अ.जा., अ.ज.जा. अथवा शारीरिक रूप से विकलांग की हैसियत से शुल्क में छूट प्राप्त का दावा किया है तो गोला नं. 2 को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें. ध्यान दें : कालम 12 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार शुल्क केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में देय है.

कालम-3 : (I) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं?

यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं तो नहीं के लिए गोला नं. 1 को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या

यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ के लिए गोला नं. 2 को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें;

(II) यदि हाँ, तो श्रेणी बताएं

यदि कालम 3 (I) का उत्तर हाँ है तभी इस कालम को भरें यदि आप अस्थिर रूप से विकलांग हैं तो गोला नं. 1 को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या यदि आप दृष्टिहीन हैं तो 2 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें; या यदि आप मूक-बधिर हैं तो 3 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 3 लिखें.

कालम-4 : समुदाय

यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो 1 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो 2 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें; या यदि आप अन्य पिछड़ी श्रेणी से हैं तो 3 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 3 लिखें; या यदि आप सामान्य वर्ग (अन्य) से संबंधित हैं तो 4 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 4 लिखें.

टिप्पणी-1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों के वे उम्मीदवार जो 'क्रोमी लेयर' में आते हैं और इस प्रकार वे अ.पि.श्रे के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होते हैं तो उन्हें अपना समुदाय 'सामान्य-वर्ग (अन्य)-कोड नं. 4' के रूप में दर्शाना चाहिए.

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार जो न तो अ.जा., अ.ज.जा. के और न ही अ.पि.श्रे. के हैं उन्हें समुदाय वाले कालम में कोड नं. 4 (सामान्य वर्ग) लिखना चाहिए तथा उसे कदापि खाली नहीं छोड़ना चाहिए.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में आयोग द्वारा सामान्यतः वाद की किसी अवस्था में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कालम-5 : लिंग

यदि आप पुरुष हैं तो 1 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें.

यदि आप महिला हैं तो 2 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें.

कालम-6 : राष्ट्रीयता

यदि आपकी राष्ट्रीयता भारतीय है तो 1 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या

यदि आपकी राष्ट्रीयता भारत की नहीं है तो 2 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें.

कालम-7 : उम्मीदवार का नाम

इस कालम को भरने के लिए बॉक्सों में अपना पूरा नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में ठीक वही लिखें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है. एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के दो हिस्सों के बीच के बॉक्स को खाली छोड़ें. तत्पश्चात् प्रत्येक अक्षर के नीचे के गोले को काला करें. खाली बॉक्स के नीचे वाले गोले को काला न करें. बॉक्सों के बाहर तक निशान न लगाएँ. यदि आवश्यक हो तो नाम को संक्षिप्त करें. अपने नाम से पहले कुछ भी प्रयोग न करें जैसे श्री, कुमारी, डा. इत्यादि.

कालम-8 : जन्म की तारीख

आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज आपके जन्म के दिन, मास और वर्ष के लिए उचित गोलों को काला करें. तत्पश्चात् बाक्सों में 01 से 31 तक की संख्या का दिन के लिए, 01 से 12 तक मास के लिए तथा अंतिम दो अंकों को जन्म के वर्ष के लिए प्रयोग में लाएँ.

कालम-9 : पिता का नाम

अपने पिता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के दो हिस्सों के बीच के बॉक्स को खाली छोड़ें. नाम से पहले कुछ भी प्रयोग न करें जैसे श्री, डा. इत्यादि.

कालम-10 : पता

आपका डाक का पूरा पता जिसमें आपका नाम भी हो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें. उसमें पिन कोड भी लिखें. केवल **नीले या काले बॉल पेन से लिखें.** बॉक्स से बाहर न लिखें. कृपया यह नोट कर लें कि आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों पर इस पते की फोटो कापी की जाएगी अतः यह सुस्पष्ट और पढ़े जाने योग्य लिखा होना चाहिए. अपना पता लिखने में यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उत्तने ही आकार के कागज़ के टुकड़े से इस बॉक्स को टुक दें और फिर उस पर पुनः अपना पता लिखें.

कालम-11 : फोटोग्राफ

अपना हाल ही का 4 सेंमी X 5 सेंमी. आकार का फोटोग्राफ (श्वेत श्याम हो तो अच्छा होगा) निर्धारित स्थान पर अच्छी प्रकार से चिपकाएँ. **फोटो पर न तो आपको हस्ताक्षर हों और न ही तस्यपि किया हुआ हो.**

कालम-12 : के.प.शु. टिकट के लिए स्थान

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए देय शुल्क रु 100/- (केवल एक सौ रुपये) है. महिला/अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. तथापि अ.पि.श्रे के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा.

शुल्क केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (न कि डाक टिकट) के माध्यम से देय है. भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है. डाकघर से **100/- रु. मूल्य वर्ग की केवल एक ही के.प.शु. टिकट** प्राप्त कर उसे ठीक प्रकार से बॉक्स के अंदर चिपका दें. के.प.शु. टिकट चिपकाने के बाद उससे उक्त डाकघर से जहाँ से वह खरीदी गई थी यथा स्थान पर निरस्त करवा लें. के.प.शु. टिकट को स्पेल कदापि न करें.

आवेदन प्रपत्र का साइड-2

कालम-13 : (I) क्या आप सुदूर क्षेत्र में या विदेश में रहते हैं?

उम्मीदवारों को केवल 1 नं. गोले को काला करने की आवश्यकता है क्योंकि ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प केवल परीक्षा के नोटिस में यथा निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए ही उपलब्ध है.

(11) यदि हां तो एरिया कोड बताएं

नीचे दिए एरिया कोड के लिए समुचित गोले को काला करें तत्पश्चात उसी कोड को बॉक्स में लिखें.

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	जम्मू व कश्मीर	09
मेघालय	02	हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल	10
अरुणाचल प्रदेश	03	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	11
मिज़ोरम	04	लक्षद्वीप	12
मणिपुर	05		
नागालैंड	06		
त्रिपुरा	07		
तिरुचिकम	08		

कालम-14 : परीक्षा केन्द्र कोड

नीचे दी गई परीक्षा केन्द्रों की सूची में से अपनी पसंद का केन्द्र चुनें और उसका कोड देखें. तदनुसार समुचित गोले को काला करें और उसी कोड को बॉक्स में लिखें. एक से अधिक केन्द्र न दर्शाएं.

परीक्षा केन्द्रों की सूची

केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड
अगरतला	45	दिसपुर	09	नागपुर	13
अहमदाबाद	01	गंगटोक	42	पणजी (गोवा)	36
ऐजल	47	हैदराबाद	10	पटना	15
अलीगढ़	21	इम्फाल	44	पोर्ट ब्लेयर	37
इलाहाबाद	02	इटानगर	48	रायपुर	49
बंगलौर	03	जयपुर	11	रांची	41
बरेली	54	जम्मू	34	संबलपुर	53
भोपाल	04	जोहराट	46	शिलांग	16
चंडीगढ़	35	कोच्चि	24	शिमला	17
चेन्नई	12	कोहिमा	43	श्रीनगर	18
कटक	07	कोलकाता	06	तिरुवनन्तपुरम	19
देहरादून	14	लखनऊ	26	तिरुपति	50
दिल्ली	08	मदुरै	40	उदयपुर	52
धारवाड़	39	मुंबई	05	विशाखापट्टनम	51

कालम-15 : शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता के लिए निर्धारित कोड निम्न प्रकार से हैं :

कोड शैक्षिक योग्यता

- 01 यदि आपने पहले ही अर्हक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है.
02 यदि आप अर्हक अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ चुके हैं/बैठ रहे हैं.
आपके मामले में लागू सही कोड का चयन करें तथा उसके लिए उचित गोले को काला करें. वही कोड बॉक्स में भी लिखें.

कालम-16 (i) : क्या आयु में छूट का दावा कर रहे हैं ?

यदि आप आयु में छूट का दावा कर रहे हैं तो हां के लिए 1 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 1 लिखें; या

यदि आप आयु में छूट का दावा नहीं कर रहे हैं तो नहीं के लिए 2 नं. गोले को काला करें और बॉक्स में 2 लिखें.

(ii) यदि हां तो वर्ग कोड बताएं

इस कालम को केवल तभी भरें जब कालम 16 (i) के लिए आपका उत्तर हां में है. नीचे दिए गए वर्ग कोडों के लिए उपयुक्त गोले को काला करें और तत्पश्चात वही कोड बॉक्स में लिखें.

आयु में छूट के दावे हेतु वर्ग-कोड

(एम्पलाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित आयोग के नोटिस का पैरा 3 (II) (ख) और (ग) देखें)

कोड सं.	वर्ग	आयु सीमा में छूट की अनुमति है
01	अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए	5 वर्ष
02	अ.पि.श्रे. के लिए	3 वर्ष
03	ऐसे कुछ निश्चित विभागीय सरकारी कर्मचारी जो रोजगार समाचार में प्रकाशित आयोग के नोटिस के पैरा 3 (II) (ख) के अंतर्गत आते हैं.	5 वर्ष
04	विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा. 10 वर्ष
05	विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	+ अ.पि.श्रे. 8 वर्ष
06	दृष्टिहीन, मूक-बधिर, एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए	10 वर्ष
07	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ अ.जा./अ.ज.जा. 15 वर्ष
08	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ अ.पि.श्रे. 13 वर्ष
09	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में) 15 वर्ष
10	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ अ.जा. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में) 20 वर्ष
11	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि + अ.पि.श्रे. + विभागीय सरकारी कर्मचारी रूप से विकलांग व्यक्ति (जैसा कि कोड सं. 03 में)	18 वर्ष
12	किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कर्मिक.	3 वर्ष

13	रक्षा सेवा के कर्मिक (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	8 वर्ष
14	रक्षा सेवा के कर्मिक (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.पि.श्रे.	6 वर्ष
15	रक्षा सेवा के कर्मिक (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	8 वर्ष
16	रक्षा सेवा के कर्मिक (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	13 वर्ष
17	रक्षा सेवा के कर्मिक (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.पि.श्रे. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	11 वर्ष
18	जिन भूतपूर्व सैनिकों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने 1 अगस्त, 2011 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) कदा-चार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2011 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है); या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता; या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं.		5 वर्ष
19	भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त तथा आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) (जैसा कि कोड सं. 18 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
20	भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त तथा आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) (जैसा कि कोड सं. 18 में)	+ अ.पि.श्रे.	8 वर्ष
21	भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त तथा आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) (जैसा कि कोड सं. 18 में)	+ विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	10 वर्ष
22	भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त तथा आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) (जैसा कि कोड सं. 18 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	15 वर्ष
23	भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त तथा आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) (जैसा कि कोड सं. 18 में)	+ अ.पि.श्रे. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	13 वर्ष
24	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्होंने 1 अगस्त, 2011 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा.		5 वर्ष
25	आपातकालीन कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
26	आपातकालीन कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 24 में)	+ अ.पि.श्रे.	8 वर्ष
27	आपातकालीन कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 24 में)	+ विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	10 वर्ष
28	आपातकालीन कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 24 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	15 वर्ष
29	आपातकालीन कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 24 में)	+ अ.पि.श्रे. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	13 वर्ष
30	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो.		5 वर्ष
31	साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किए व्यक्ति (जैसा कि कोड सं. 30 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
32	साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किए उम्मीदवार (जैसा कि कोड सं. 30 में)	+ अ.पि.श्रे.	8 वर्ष
33	साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किए व्यक्ति (जैसा कि कोड सं. 30 में)	+ विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	10 वर्ष
34	साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किए व्यक्ति (जैसा कि कोड सं. 30 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	15 वर्ष
35	साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किए व्यक्ति (जैसा कि कोड सं. 30 में)	+ अ.पि.श्रे. + विभागीय सरकारी कर्मचारी (जैसा कि कोड सं. 03 में)	13 वर्ष

कालम 17 से 20 :

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आवेदन कर रहे उम्मीदवार इन कालमों में से किसी को न भरें. अतः वे इन कालमों को खाली छोड़ दें.

कालम 21 :

इंजीनियरी शाखा के सामने (केवल ए इंजीनियरी शाखा) अर्थात् सिविल, यांत्रिक, वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिकी और दूर-संचार इंजीनियरी जिसके लिए आप प्रतियोगी हैं के लिए समुचित गोले को काला करें और तत्पश्चात वही कोड वाक्य में लिखें.

कालम 22 :

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आवेदन कर रहे उम्मीदवार इस कालम को न भरें. अतः वे इस कालम को खाली छोड़ दें.

कालम 23 : घोषणा

हस्ताक्षर करने के पहले उम्मीदवार घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें. उप पैरा (i) में तारक चिन्हों से पहले दिए गए स्थानों में उम्मीदवार परीक्षा नोटिस संख्या अर्थात् **04/2011-इएनजीपी** तथा इम्प्लाईमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार में नोटिस के प्रकाशन की तारीख अर्थात् **8.1.2011** अवश्य भरें.

कालम 24 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिए गए बॉक्स के भीतर अपना सामान्य हस्ताक्षर नीले अथवा काले बाल पेन से भरें. आपका हस्ताक्षर दिए गए बॉक्स से न बाहर जाए और न ही उसकी सीमा को छुए. **हस्ताक्षर के बदले में केवल अपना नाम बड़े अक्षरों में न लिखें.** अहस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

प्रपत्र पर स्थान तथा हस्ताक्षर करने की तारीख भी इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थानों में अवश्य लिखें.

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें कि

1. आपने केवल निर्दिष्ट प्रधान डाकघरों/डाकघरों से खरीदे गए आवेदन प्रपत्र का ही प्रयोग किया है.
2. आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कॉलमों के उपयुक्त वृत्तों को काला करके भर दिया है तथा बॉक्सों में संबंधित कोड (कोडों) को भी लिख दिया है. इस बात की सावधानीपूर्वक जांच कर लें कि गोलों को काला करने में और साथ दिए गए बॉक्सों में आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों में कोई भिन्नता न हो.
3. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 11 में अपना हाल ही का फोटोग्राफ (श्वेत और श्याम हो तो अच्छा होगा) (अहस्ताक्षरित एवं असत्यापित) चिपका दिया है.
4. आपके द्वारा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है तो आपने अपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 12 में 100/- रु. मूल्य वर्ग का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट चिपकाया है तथा इसे डाकघर द्वारा रद्द करवाया है.
5. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 24 में हस्ताक्षर कर दिया है.
6. विवरणिका के साथ आपको दिए लिफाफे में केवल एक आवेदन प्रपत्र तथा एक पावती कार्ड भेजा जा रहा है तथा **इसके साथ अन्य कोई संलग्नक नहीं हैं.**
7. आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड को भेजने वाले लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् **"इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2011"** लिख दिया है.

परिशिष्ट-III

मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची (केवल आफलाईन आवेदन करने के लिये) जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन पत्र उपलब्ध है.

आंध्रप्रदेश मंडल : हैदराबाद जी.पी.ओ., हैदराबाद जुबली, काचिगुडा स्टेशन, खैराताबाद, सिकन्दराबाद, निम्लगेरी, आदिताबाद, अनन्तपुर, अखंडेलेपेट (गुंटूर), चित्तूर, कुड्डापा, एलूरु, काकीनाडा, करीमनगर, खम्माम, कुरुनूल, मखलीपेटनम, महबूबनगर, मेटक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विजयवाड़ा, विकाराबाद, विशाखापटनम, वारांगल.

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नागांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया.

बिहार मंडल : पटना जी.पी.ओ., बाँकीपुर, आरा, औरंगाबाद, बी. देवघर, बोकारो स्टील सिटी, बांका, बर्दियाँ, बेगुसराय, भागलपुर, विहार शरीफ, बक्सर, चाईबासा, छपरा, झालटेनगंज, दरभंगा, धनुबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गोपालगंज, गुमना, हाजीपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रांची, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान.

दिल्ली मंडल : दिल्ली जी.पी.ओ., नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, रमेशनगर, सरोजिनी नगर, लोधी रोड, कृष्ण नगर, अशोक विहार, संसद मार्ग, यू.पी.एस.सी. डाकघर.

गुजरात मंडल : गांधीनगर, अहमदाबाद, अमरोली, आनन्द, भरूच, भावनगर, भुज, दहोड, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहेसाणा, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, रेवड़ी बाजार, सूरत, सुरेंद्रनगर, वलसाड, वडोदरा.

हरियाणा मंडल : अम्बाला जी.पी.ओ., अम्बाला सिटी, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत.

हिमाचल प्रदेश मंडल : शिमला, विलापुर, चम्पा, हमीरपुर, कांगडा, केलांग, कुल्लू, मंडी, नाहन, रिकांग पी, सोलन, ऊना.

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कथुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर.

कर्नाटक मंडल : बंगलौर जी.पी.ओ., बंगलौर सिटी, वासावनगुडी, हल II स्टेज, जयनगर, आर. टी. नगर, बगलकोट, रायचूर, राजानीनगर, बेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा, दारवाण, मैसूर, नानजागुड, शिमोगा, सिरसी, तुमकूर, उड्डीपी.

केरल मंडल : त्रिचेन्द्रम, अल्लोपे (अलापुझा), कालीकट, कन्नानोर, एर्नाकुलम, कालपेट्टा, कासरगौड, कट्टपपना, कोट्टयाम, मलपुरम, पालघाट, पायनमथीट्टा, त्रिवलोन, त्रिचूर, कावारती (लक्षद्वीप).

मध्य प्रदेश मंडल : भोपाल जी.पी.ओ., खिलारपुर, अम्बिकापुर, बालाघाट, बैतूल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दामोद, देवास, धाड़, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयदलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खारगोन, लक्षर, मंडला, मंडसौर, मुँना, नरसिंहपुर, नीमच, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़ (विजौरा), राजनगढ़वां, रतलाम, रीवा, सारार छावनी, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधौरी,

टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा.

महाराष्ट्र मंडल : मुम्बई जी.पी.ओ., मुम्बई मध्य, अंधेरी, बोरीवली, चेन्नूर, चिनेहबन्दर, दादर, गिरगांव, कालवादेवी, माहीम, मानडवी, अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलढाना, चन्द्रपुर, धूले, जलगांव, जालना, कराड, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर जी.पी.ओ., नागदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सावंतवाडी, सोलापुर, थाणे, वर्धा, वरनामाल, मडगांव (मोवा), पणजी (मोवा).

उत्तर-पूर्व मंडल : अग्रतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा.

उड़ीसा मंडल : भुवनेश्वर जी.पी.ओ., अंगुल, बोर्लंगीर, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहामपुर, भद्रक, भवानीपटना, कटक जी.पी.ओ., धंकाणाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जयपुर (के), झासुगुडा, केंद्रपारा, केर्नालारागढ़, कोरापुट, नयागढ़, परलाखेमुंडी, फूलबनी, पुरी, रायगडा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़.

पंजाब मंडल : अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलन्धर सिटी, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर, **चण्डीगढ़.**

राजस्थान मंडल : जयपुर जी.पी.ओ., जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, वारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दोसा, धौलपुर, झारपुर, हनुमानगढ़, हिन्दीन, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कच्छोली, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़ा, सवाईमाधोपुर, शास्त्री मंडल उदयपुर, सीकर, सिरौही, श्रीगंगानगर, टोंक.

तमिलनाडु मंडल : चेन्नई जी.पी.ओ., अन्ना रोड, संत थॉमस माउन्ट, टी. नगर, वेडिनायाकनूर, चेन्नालपेट्टु, चिदाम्बरम, कोयमबटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मद्रु, नागपट्टीनम, नागरकोटल, नामाक्कल, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सालेम, शिवगंगई, ताम्बरम, थन्जावूर, थिरुक्कन्मलाई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, तिरुवायूर, तुराईपुर, तूतीकोरीन, उद्यममंडलम, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, **पुडुचेरी.**

उत्तर प्रदेश मंडल : लखनऊ, लखनऊ चौक, आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी, अलमोड़ा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बांसी, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुंदेल, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, धामपुर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हलद्वारी, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खेरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ओर्राई, पौरी, पडरौना, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, रुड़की, साहजपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, उन्नाव, वाराणसी.

पश्चिम बंगाल मंडल : कोलकाता जी.पी.ओ., अलीपुर, बड़बाजार, बेतियाघाट, बेलघरिया, कासीपुर, पाकं स्ट्रीट, टालीगंज, बालूखाट, बांकुरा, बारासत, बहरामपुर, बर्धमान, चिन्सुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कृष्णनगर, मालदा, मिदनापुर, पुरुलिया, सूरु, सिलिगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर (**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**), गंगटोक (**सिक्किम**).

1. सेंट्रल बेस डाकघर (सी.बी.पी.ओ.), 56 ए.पी.ओ.
2. सी.बी.पी.ओ. (99 ए.पी.ओ.) द्वारा चुनिंदा फील्ड डाकघर

परिशिष्ट-IV

भाग-क

परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में ले जाने वाली वस्तुएं : केवल "नान-प्रोग्रामएबल" प्रकार की बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय, इंजीनियरी, आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्टाइडरूल, सेट स्क्वायर, एक प्रोटैक्टर और परकार का एक सेट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र के कलम, रबड़, टी-स्कवायर तथा ड्राईंग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए. उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की सारणी अथवा चार्ट साथ लाने की अनुमति नहीं है.
2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां : किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा :-
(i) गणितीय, भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित)
(ii) भाषा (स्टीम) सारणियां-800* सेंटीग्रेड तक तापमान तथा 500* के.जी.एफ.सेंटी.मी. वर्ग तक के दबाव के लिए प्रश्नमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित.
(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग 6.
(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य विशेष वस्तु. परीक्षा समाप्त होने पर उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को लौटा दें.
3. उत्तर अपने हाथ से लिखना : उत्तरों को स्याही से अपने हाथ से लिखें. पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है.
4. उत्तर-पुस्तिका की जांच : उम्मीदवार को प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में केवल अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं). उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने

- से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है. यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने निकले हुए हों, तो उसे बदल लेना चाहिए. उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित कर देनी चाहिए. उम्मीदवारों को उत्तरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए. यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उम्मीदवार उसे काट दें.
5. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा : उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए. यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा. शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.
 6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे जो उन्हें निरीक्षक से मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवार को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त सूत्रे पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका(ए) यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें. उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक इन शीटों पर न लिखें.
 7. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही : उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा. प्रत्येक उम्मीदवार

